न्यायालय जिला कलक्टर अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/40/2023	03-02-2023	20-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनाक 04.03.2022

उपस्थितः-

01- श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक

02- श्री दिनेश कुमार यादव -वकील अप्रार्थीगण

-::निर्णय::-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर. /आवंटन/2021-22/5113 दिनांक 04.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 2383 रकबा 4.89 है0 किस्म सिवायचक बंजड में से 0.50 है0, खसरा नं0 2384 रकबा 14.00 है0 किस्म सिवायचक बंजड में से 0.75 है0 वाके ग्राम बिरकड़ी, तहसील टहला, जिला अलवर की भूमि का आवंटी गणेश पुत्र रामचन्दर, जाति माली, हाल निवासी ग्राम बिरकडी, तहसील टहला, जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /5113 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प0 12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/टहला के

प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है। पटवारी रिपोर्ट में आवंटी का निवास ग्राम बिरकडी, ग्राम पंचायत बिरकडी, तहसील–टहला अंकित है, जबकि संलग्न शपथ–पत्र अनुसार आवंटी का निवास स्थान तहसील मालाखेडा, जिला अलवर है, प्रावधानानुसार आवंटी/अप्रार्थी उसी तहसील का निवासी होना अनिवार्य है, जबकि उक्त प्रकरण में आवंटी/अप्रार्थी तहसील से भिन्न होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जॉच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप–4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नही है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट आवंटियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति सम्बधित, विवाहित/अविवाहित, व्यस्क/अव्यस्क के उम्र की जॉच का साक्ष्य उपलब्ध नही है। आंशिक रकबा आवंटन की स्थिति है जिसका नजरी नक्शा संलग्न नही है। आवंटित आराजी की किस्म संवत 2020 मे राडा दर्ज है, जो कि 2046 मे बंजड दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट में आवंटी का निवास ग्राम बिरकडी, ग्राम पंचायत बिरकडी, तहसील–टहला अंकित है, जबकि संलग्न शपथ–पत्र अनुसार आवंटी का निवास स्थान तहसील मालाखेडा, जिला अलवर है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निमार्ण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती हैं। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (T) 3131 दिनांक

अलवर (राज०)

03.02.2023 अनुसार ग्राम बिरकड़ी कमाण्ड क्षेत्र में आती है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यायल पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत् प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित आराजी कमाण्ड क्षेत्र में आती है एवं आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नहीं होते हैं। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है, कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/5113 दिनांक 04.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /5113 दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
अलवर, (राज0)